(b) Review by Government on the working of the above Institute.

(c) Statement giving reasons for the delay in laying the papers mentioned at (a) above.

[Placed in Library for (a) to (c) See no. LT. 2486/99]

I. Notifications of Ministry of Environment and Forests

II. Report and Accounts (1997-98) of Wildlife Institute of India, Dehradun and related papers.

III. Report and Accounts (1997-98) of various, Invironment Education centres and related papers.

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी): श्रीमन मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:—

I. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 26 के अधीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (अंग्रेजी तथा हिन्दी में):

(i) अंडमान और निकोबार द्वीप समूह संघ राज्य क्षेत्र में तटीय विनियमन इलाकों में बालू के खनन के संबंध में अधिसूचना संख्या का०आ० 114(अ), तारीख 19 फरवरी, 1991 में संशोधन से संबंधित का०आ० 334(अ), तारीख 20 अप्रैल, 1998।

(ii) अंडमान और निकोबार द्वीप समूह संघ राज्य क्षेत्र में तटीय विनियमन इलाकों में बालू खनन के संबंध में अधिसूचना संख्या का० आ० 114 (अ), तारीख 19 फरवरी, 1991 में संशोधन से संबंधित का०आ० 873(अ), तारीख 30 सितम्बर, 1998।

(iii) कुच्छ जवार राज्य के संबंध में अधिसूचना संख्या का०आ० 114(अ), तारीख 19 फरवरी, 1991 में संशोधन के संबंध में का०आ० 1122(अ), दिनांक 29 सितम्बर, 1998।

(iv) पंचमढ़ी क्षेत्र को पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील जोन घोषित करने वाली प्रारूप अधिसूचना के संबंध में का०आ० 825(अ), दिनांक 17 सितम्बर, 1998।

[पुस्तकालय में रखी गई। (i) से (iv) के लिए देखिए संख्या एल०टी० 2489/99]

(v) राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण के गठन के संबंध में का०आ० 991(अ), दिनांक 26 नवम्बर, 1998।

(vi) अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण के गठन के संबंध में का०आ० 992(अ), दिनांक 26 नवम्बर, 1998।

(vii) आन्ध्र प्रदेश तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण के गठन के संबंध में का०आ० 993 (अ) दिनांक 26 नवम्बर 1998।

(viii) तमिलनाडु तटीय जोन प्रबन्ध प्राधिकरण के गठन के संबंध में का०आ० 994(अ), दिनांक 26 नवम्बर, 1998।

(ix) गोवा, तटीय जोन प्रबन्ध प्राधिकरण के गठन के संबंध में का०आ० 995(अ), दिनांक 26 नवम्बर, 1998।

(x) पांडिचेरी, तटीय जोन प्रबन्ध प्राधिकरण के गठन के संबंध में का०आ० 996(अ), दिनांक 26 नवम्बर, 1998।

(xi) पश्चिमी बंगाल, तटीय जोन प्रबन्ध प्राधिकरण के गठन के संबंध में का०आ० 997(अ), दिनांक 26 नवम्बर, 1998।

(xii) दमन और दीव द्वीपसमूह तटीय जोन प्रबन्ध प्राधिकरण के गठन के संबंध में का०आ० 998(अ), दिनांक 26 नवम्बर, 1998।

(xiii) गुजरात, तटीय जोन प्रबन्ध प्राधिकरण के गठन के संबंध में का०आ० 999(अ), दिनांक 26 नवम्बर, 1998।

(xiv) कर्नाटक, गोवा, तटीय जोन प्रबन्ध प्राधिकरण के गठन के संबंध में का०आ० 1000(अ), दिनांक 26 नवम्बर, 1998।

(xv) केरल तटीय जोन प्रबन्ध प्राधिकरण के गठन के संबंध में का०आ० 1001(अ), दिनांक 26 नवम्बर, 1998।

(xvi) लक्षद्वीप तटीय जोन प्रबन्ध प्राधिकरण के गठन के संबंध में का०आ० 1002(अ), दिनांक 26 नवम्बर, 1998।

(xvii) महाराष्ट्र तटीय जोन प्रबन्ध प्राधिकरण के गठन के संबंध में का०आ० 1003(अ), दिनांक 26 नवम्बर, 1998।

(xviii) उड़ीसा तटीय जोन प्रबन्ध प्राधिकरण के गठन के संबंध में का०आ० 1004(अ), दिनांक 26 नवम्बर, 1998। [पुस्तकालय में रखी गई। (v) से (xviii) के लिए देखिए संख्या एल०टी० 2490/99]

(xix) केरल तटीय जोन प्रबन्ध प्राधिकरण के गठन के संबंध में का०आ० 104(अ), दिनांक 12 फरवरी, 1998। [पुस्तकालय में रखी गई। देखिए संख्या एल०टी० 2489/99]

(xx) पर्यावरण (संरक्षण) (द्वितीय संशोधन) नियम, 1998 को प्रकाशित करने वाली सा०का०नि० 7, दिनांक 22 दिसम्बर, 1998। [पुस्तकालय में रखी गई। देखिए संख्या एल०टी० 2492/99]

(xxi) 2-टी तेल (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश, 1998 को प्रकाशित करने वाली सा०का०नि० 778(अ) दिनांक 31 दिसम्बर, 1998। [पुस्तकालय में रखी गई। देखिए संख्या एल०टी० 2491/99]

II. निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (अंग्रेजी तथा हिन्दी में):—

(क) 1997-98 के वर्ष के लिए भारतीय वन्यजीव संस्थान, देहरादून का वार्षिक प्रतिवेदन और लेखे, लेखाओं पर लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन सहित।

(ख) उपर्युक्त संस्थान के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(ग) ऊपर (क) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण। 1998। [पुस्तकालय में रखी गई। (क) से (ग) के लिए देखिए संख्या एल०टी० 2655/99]

III (क) 1997-98 के वर्ष के लिए सेंटर फार एनवायरनमेंट एजुकेशन, नेहरू फाउण्डेशन फार डेवेलपमेंट, अहमदाबाद का वार्षिक प्रतिवेदन और लेखे, लेखाओं पर लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन सहित।

(ख) उपर्युक्त सेंटर के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(ग) ऊपर (क) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण।

[पुस्तकालय में रखी गई। (क) से (ग) के लिए देखिए संख्या एल०टी० 2656/99]

(ii) (क) 1997-98 के वर्ष के लिए सी०पी० आर० एनवायरनमेंटल एजुकेशन सेंटर, चेन्नई का वार्षिक प्रतिवेदन और लेखे, लेखाओं पर लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन सहित।

(ख) उपर्युक्त सेंटर के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(ग) ऊपर (क) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण।

[पुस्तकालय में रखी गई/देखिए संख्या एल०टी० 2657/99]

Notification of Ministry of Food and Consumer Affairs

खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यपाल सिंह यादव): श्रीमन् मैं भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 की धारा 39 के अधीन, भारतीय मानक ब्यूरो (प्रशासनिक, वित्तीय और अन्य पदों पर नियुक्तियां) (संशोधन) विनियम, 1998 को प्रकाशित करने वाली खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्रालय की अधिसूचना सा०का०नि० 757(अ) दिनांक 21 दिसम्बर, 1998 की एक प्रति (अंग्रेजी तथा हिन्दी में) सभा पटल पर रखता हूं।

[पुस्तकालय में रखी गई/देखिए संख्या एल०टी० 2521/99]

REPORTS AND MINUTES OF THE COMMITTEE ON THE WELFARE OF SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES

SHRI RAM NATH KOVIND (Uttar Pradesh): Sir, I lay on the Table a copy each (in English and Hindi) of the following Reports and Minutes of the Committee on the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes—

(i) Ninth Report of the Committee on the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes on Action Taken by the Government on the recommendations